हुक्म या कार्यवाही ...

तारीख हुक्म	
30-05-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

81 / प्रा.पत्र / 2022
दायरा दिनांक 23.09.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. गोबरी बाई पत्नी ग्यारसीराम जाति गुर्जर निवासी भाण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

—प्रार्थिया

बनाम

1. मोत्या बाई बेवा धन्ना जाति गुर्जर निवासी भाण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. रायराम पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी भाण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. सत्यनारायण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी भाण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. भोती देवी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0 हाल निवास निवासी भाण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. रोशन देवी पत्नी बंशी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
6. रोशन्ती देवी पत्नी बंशी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
7. शकुन्तला पत्नी बनाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
8. सुशीला पत्नी बालूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
9. अखेराज सिंह पुत्र सम्मान सिंह जाति राजपूत जाति निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
10. छोटू पुत्र गंगाबिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम साहू पाडा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

निर्णय

दिनांक :— 30.04.2024

अन्तर्गत धारा 111, 128 एल. आर. एक्ट
उपस्थित :— श्री बाला लाल बीडा (अधिवक्ता प्रार्थिया)

प्रार्थिया ने अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थिया की खातेदारह कृषि भूमि खसरा संख्या 81 रकबा 2.52 हैक्ट0 कृषि भूमि वाके ग्राम भांण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 29/35 निहित है।

प्रार्थिया की कृषि भूमि ख0सं0 81 के तीनों ओर पूरव, पश्चिम, दक्षिण की ओर अप्रार्थिगण 1 लगायत 10 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमिया है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 जानबूझकर प्रार्थी की कृषि भूमि को दबाना (कब्जा) करना चाहते हैं। प्रार्थिया ने सीमाओं बाबत दिनांक 31.05.2022 को वर्णित आराजी ख0सं0 81 का सीमाज्ञान भी कराया गया था इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 सीमाओं को अतिक्रमण कर मिटाना चाहते हैं तथा प्रार्थिया की भूमि को दबाना चाहते हैं। सीमाओं बाबत किसी प्रकार का विवाद न हो, इस कारण से प्रार्थिया पुन सीमांकन करवाकर सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिया की कृषि की सीमाओं पर पत्थरगढी कराने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग दी गई। अप्रार्थीगण 9 लगायत 11 बावजूद तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ शेष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं0 2 व 3 के अधिवक्ता को बार—बार अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना—पत्र पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी सं0 2 व 3 का जवाब प्रार्थना—पत्र बन्द किया जाकर बहस प्रार्थिया अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पुनः सीमांकन कराया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ को फरमाये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

हमारे द्वारा प्रार्थिया क अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 81 रकबा 2.52 हैक्टर ग्राम भाण्ड गंवार प्रार्थिया संयुक्त खातेदारी में दर्ज हिस्सा 29/35 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थिया वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थिगण 1 लगायत 10 अतिक्रमण नहीं करें तथा सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से प्रार्थिया संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 81 रकबा 2.52 हैक्टर ग्राम भाण्ड गंवार का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। उभयपक्षो के मध्य प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की सीमाओं के संबंध में विवाद बढ़ने को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि आराजी खसरा संख्या 81 रकबा 2.52 हैक्टर ग्राम भाण्ड गंवार तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि का उभयपक्षो की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमाओं का निर्धारण करते हुए सीमा चिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को लिखवाया/टाईप कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)